

## राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-6021 / 2022

हरि नारायण मीणा (कर्मचारी आई.डी.- आरजेजेडब्ल्यू201722005455)

—अपीलार्थी

### बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.11.2022

आदेश की दिनांक : 07.12.2022

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री मनोज ओजला, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)  
एम.एस. काला, सदस्य

### आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी व्याख्याता राजनीति विज्ञान के पद पर रा.उ.मा.वि., कांत, जयपुर में कार्यरत है। आलौच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थान स्थान से रा.उ.मा.वि., Sawaumookiaj Gida, बाड़मेर में किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के केवल निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से किया गया है तथा अपीलार्थी ने स्थानांतरण के लिए कोई प्रार्थना नहीं की थी। उनका आगे तर्क है कि अपीलार्थी की पत्नी भी राज्य कर्मचारी है, जो जयपुर में ही आमेर में व्याख्याता के पद पर कार्यरत है। पति-पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थापित रखने की सरकार की नीति है, जिसके विरुद्ध जाकर अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण 750 किमी. दूर किया गया है, जिससे अपीलार्थी को अपनी मां का इलाज करवाने तथा परिवार की देखभाल

में परेशानी उठानी पड़ेगी। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि जयपुर में अभी रिक्त पद है, विभाग चाहे तो उसे जयपुर में रिक्त पद पर पदस्थापित कर सकता है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे हैं कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।
5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम.एस. काला)  
सदस्य

(अनन्त भंडारी)  
सदस्य (न्यायिक)